उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय 17, महर्षि दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद पिन — 211 001



दिनाँक 15 मई, 2007 को सम्पन्न विद्या परिषद् की 14वीं बैठक का कार्यवृत्त

बैठक संख्या : 14

दिनाँक : 15 मई, 2007

समय : पूर्वाह्न 11:00 बजे

स्थान : कमेटी कक्ष

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनाँक 15 मई, 2007 को पूर्वाह्न 11:00 बजे कमेटी कक्ष में सम्पन्न विद्या परिषद् की 14वीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

प्रो केदार नाथ सिंह यादव (1) अध्यक्ष कुलपति उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालयः, इलाहाबाद प्रो. एस.के. पाण्डेय, (2) सदस्य सांख्यिकी विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ प्रो. जगन्नाथ पाल (3) सदस्य प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद डॉ. इफ्तेखार अहमद (4) सदस्य प्राचार्य शिबली नेशनल पी.जी. कालेज, आजमगढ डॉ. डी.सी. लाल (5) सदस्य शारीरिक शिक्षा विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद डॉ. बी.एन. सिंह (6) सदस्य निदेशक, मानविकी विद्या शाखा उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद डॉ. एम.एन. सिंह (7) सदस्य निदेशक, समाज विज्ञान विद्या शाखा उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद प्रो. एस.पी. गुप्ता (8) सदस्य आचार्य, शिक्षा विद्या शाखा उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद डॉ. टी.एन. दुबे (9) सदस्य पुस्तकालयाध्यक्ष उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद डॉ. नागेन्द्र यादव (10)सदस्य उपाचार्य, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

(11) डॉ. आर.पी.एस. यादव सदस्य उपाचार्य, मानविकी विद्या शाखा [®] उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद (12) डॉ. उपेन्द्र कुमार कनौजिया सदस्य

(12) डॉ. उपेन्द्र कुमार कनौजिया प्रवक्ता, समाज विद्या शाखा उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

(13) डॉ. श्रुति सदस्य प्रवक्ता, विज्ञान विद्या शाखा उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालयं, इलाहाबाद

(14) श्री एम.एल कनौजिया सचिव कुलसचिव उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित न हो सके:

- प्रो. संतोष पाण्डा निदेशक, STRIDE इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
- (2) प्रो. आनन्द मोहन इलेक्ट्रानिक्स विभाग, आई.टी. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
- (3) प्रो. आर.के. चौहान अतिरिक्त सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली – 110002
- (4) प्रो. आर.सी. यादव विज्ञान संकाय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व कुलपति जी ने नये सदस्यों का परिचय कराया एवं सभी का स्वागत किया तथा उनके सहयोग की अपेक्षा की।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 14.01

विद्या परिषद् की पिछली बैठक दिनाँक 19 जनवरी 2007 के कार्यवृत्त की पुष्टि

विद्या परिषद् ने अपनी पिछली बैठक दिनाँक 19 जनवरी 2007 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 14.02

विद्या परिषद् की पिछली बैठक दिनाँक 19 जनवरी 2007 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्रवाई से अवगत होना

विद्या परिषद् अपनी पिछली बैठक दिनाँक 19 जनवरी 2007 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्रवाई से अवगत हुई।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 14.03

बी.एड. एवं बी.एड.(विशिष्ट शिक्षा) के उभयनिष्ठ (Common) प्रश्न-पत्रों को एक साथ तृतीय सेमेस्टर में रखने पर विचार

विद्या परिषद् ने बी.एड. एवं बी.एड.(विशिष्ट शिक्षा) के उभयनिष्ठ (Common) प्रश्न-पत्रों को एक साथ तृतीय सेमेस्टर में रखने पर विचार किया।

निश्चय किया गया कि बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) तथा बी.एड. के निम्नलिखित उभयनिष्ठ (Common) वैकल्पिक प्रश्न-पत्रों को तृतीय सेमेस्टर में रखने हेतु कार्य परिषद् को संस्तुत किया जाय ताकि बी.एड. एवं बी.एड.(विशिष्ट शिक्षा) के सेमेस्टर संरचना में एकरूपता बनाई जा सके :--

वैकल्पिक प्रश्न-पत्र (कोई दो)

B.Ed. - 11 विज्ञान शिक्षण

B.Ed. - 12 गणित शिक्षण

B.Ed. - 13 सामाजिक अध्ययन शिक्षण

B.Ed. - 14 अंग्रेजी शिक्षण

B.Ed. - 15 हिन्दी शिक्षण

कार्यसूची बिन्दु संख्या 14.04

काउन्सिलिंग हेतु सामान्य मानक निर्धारण सम्बन्धी विद्या परिषद् के संकल्प संख्या–11 दिनाँक 26–08–2002 पर पुर्नविचार

विद्या परिषद् ने काउन्सिलिंग हेतु सामान्य मानक निर्धारण सम्बन्धी विद्या परिषद् के संकल्प संख्या—11 दिनाँक 26—08—2002 पर पुनः विचार किया।

निश्चय किया गया कि वर्तमान काउन्सिलिंग हेतु निर्धारित मानक के अन्त में निम्नलिखित द्वितीय प्रस्तर जोड़ने हेतु कार्य परिषद् को संस्तुत किया जाय:

"ऐसे कार्यक्रम जिनमें शिक्षार्थियों की संख्या 05 अथवा 05 से अधिक किन्तु 10 से कम हो उनमें केवल 50 प्रतिशत की काउन्सिलिंग की व्यवस्था की जाय और यदि शिक्षार्थियों की संख्या 05 से कम होती है तो कोई काउन्सिलिंग न कराई जाय। प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम जिसमें प्रयोगात्मक कार्य अनिवार्य है, को छोड़कर शेष प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों में कोई काउन्सिलिंग न कराई जाय।

उपरोक्त संशोधन के उपरान्त काउन्सिलिंग हेतु मानक को निम्नवत पढ़ा जायेगा:

काउन्सिलिंग हेतु मानक

- सामान्य पाठ्यक्रमों के आठ क्रेडिट के कोर्स में 09 से 12, छह क्रेडिट के कोर्स में 06 से 09, चार क्रेडिट के कार्स में 04 से 05 सम्पर्क कक्षाएं आयोजित होंगी किन्तु विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमित से कम्प्यूटर कोर्स में 25 प्रतिशत अतिरिक्त सम्पर्क कक्षाएं आयोजित की जा सकती है।
- 2. ऐसे कार्यक्रम जिनमें शिक्षार्थियों की **संख्या 05 अथवा 05 से अधिक किन्तु 10 से कम हो** जनमें केवल 50 प्रतिशत की काउन्सिलिंग की व्यवस्था की जाय और यदि शिक्षार्थियों की संख्या 05 से कम होती है तो कोई काउन्सिलिंग न कराई जाय।
- प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम जिसमें प्रयोगात्मक कार्य अनिवार्य है, को छोड़कर शेष प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों में कोई काउन्सिलिंग न कराई जाय।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 14.05

एम.फिल पाठ्यक्रम संचालन हेतु प्रस्तावित गाईड लाइन्स पर विचार

विद्या परिषद् ने एम.फिल पाठ्यक्रम संचालन हेतु गाईड लाइन्स बनाने के लिए कुलपति द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट दिनाँक 24–04–2007 पर विचार किया।

निश्चय किया गया एम.फिल. पाठ्यक्रम संचालन हेतु गाईड लाइन्स बनाने के लिए कुलपित द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट दिनाँक 24-04-2007 को स्वीकार करते हुए परिशिष्ट "01" में उल्लिखित प्रस्तावित एम.फिल. गाईड लाइन्स के अनुमोदन हेतु कार्य परिषद् को संस्तुत किया जाय।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 14.06

सत्र 2007-08 से प्रारम्भ किए जाने वाले नये पाठ्यक्रमों पर विचार

विद्या परिषद् ने सत्र 2007-08 से प्रारम्भ किए जाने वाले नये पाठ्यक्रमों पर विचार किया।

निश्चय किया गया कि सत्र 2007-08 से निम्नलिखित 13 नये अतिरिक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु

कार्य परिषद् को अनुमोदनार्थ संस्तुत किया जाय:

- 01. एम.फिल. (शिक्षाशास्त्र)
- 02. एम.फिल. (सांख्यिकी)
- 03. एम.ए. (शिक्षाशास्त्र)
- 04. एम.बी.ए. (एग्री बिजनेस एण्ड रुरल मैनेजमेण्ट)
- 05. डिप्लोमा इन होम आर्ट्स
- 06. डिप्लोमा इन हार्डवेयर टेक्नोलॉजी
- 07. डिप्लोमा इन फोटोग्राफी
- 08. डिप्लोमा इन वोकेशनल गाइडेन्स एण्ड कैरियर काउन्सिलिंग
- 09. सर्टिफिकेट इन एन.जी.ओ. मैनेजमेण्ट
- 10. सर्टिफिकेट इन तमिल लैंग्वेज
- 11. सर्टिफिकेट इन बंग्ला लैंग्वेज
- 12. सर्टिफिकेट इन क्रिमिनोलॉजी
- 13. सर्टिफिकेट इन लेदर टेक्नोलॉजी

विद्या परिषद् के माननीय सदस्य डॉ. इफ्तेखार अहमद ने यह सुझाव दिया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुबारकपुर में साड़ियों तथा निजामाबाद (आजमगढ़) में मिट्टी के बतर्नों (पॉट्री) के उद्योगों पर आधारित पाठ्यक्रम संचालित किया जाना चाहिए। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि सर्टिफिकेट इन चाइनीज लैंग्वेज का पाठ्यक्रम संचालित किया जाना चाहिए।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 14.07

मान्यता बोर्ड की बैठक दिनाँक 30-04-2007 के कार्यवृत्त पर विचार

विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की बैठक दिनाँक 30—04—2007 के कार्यवृत्त पर विचार किया।

निश्चय किया गया कि मान्यता बोर्ड की बैठक दिनाँक 30 अप्रैल, 2007 के कार्यवृत्त को स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ संस्तुत किया जाय।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई।

(एम.एल. कनौजिया)

कुलसचिव

एम.फिल. कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी मानक तैयार करने के निमित्त कुलपित द्वारा गठित समिति की दिनाँक 24-04-2007 को पूर्वाह्न 11:00 बजे कुलसचिव कक्ष में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त :--

उपस्थिति :

2.

प्रो. एस.पी. गुप्ता
आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

सदस्य

सदस्य

सांख्यिकी विभाग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

अलीगढ़

प्रो. ए.एच. खान

3. डॉ. एच.सी. जायसवाल सदस्य

वरिष्ठ परामर्शदाता

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

इलाहाबाद

4. श्री के.बी. लाल सदस्य विशेष कार्याधिकारी

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

इलाहाबाद

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :--

 प्रो. सन्तोष पाण्डा निदेशक, स्ट्राइड इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली

 प्रो. (श्रीमती) सुरक्षा चौधरी विभागाध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र विभाग मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ

डॉ. श्रुति
प्रवक्ता, विज्ञान विद्या शाखा
उ.प्र. राजिं टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

समिति द्वारा विचार-विमर्श करने के उपरान्त एम.फिल. पाठ्यक्रम के संचालन हेतु परिशिष्ट 'क' में उल्लिखित मानक (गाइड लाइन्स) के अनुमोदन हेतु संस्तुति की गयी।

(के.बी. लाल)

प्रो. (एस.पी. गुप्ता)



Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University Allahabad

Guidelines
For the degree of
Master of Philosophy (M.Phil.)
Through
Open and Distance Learning System

- The Master of Philosophy (M.Phil.) Degree Programme will be conducted by the U P Rajarshi Tandon Open University, Allahabad through open and distance learning system with effect from the session 2007-08.
- The minimum duration of the Master of Philosophy (M.Phil.) Programme shall be two years. However, the maximum period allowed for the completion of the course shall be four years.
- 3. There will be 15 seats in each subject. However number of seats in any subject may be increased with the permission of the vice-chancellor.
- 4. The medium of instructional material, counselling and examination of the Master of Philosophy (M.Phil.) Programme will be English only. However a student may answer in Hindi or in English in the examinations or may submit dissertation in Hindi or in English.
- 5. A candidate who possesses Master's degree in the subject concerned or in an allied subject, as specified by the university time to time, of any University in India incorporated by law for the time being in force or any equivalent degree/certificate recognized by the university with 55% percent aggregate marks may be registered for the Master of Philosophy (M.Phil.) Programme of the University. However a relaxation of 5% will be given to SC / ST applicants.
- The reservation policy of the State Government shall be followed for providing opportunities of upliftment to the SC, ST and OBC candidates as well as for other categories of applicants in the Master of Philosophy (M.Phil.) Programme.

7. The programme fee and other fees of the Master of Philosophy (M.Phil.) Programme will be as given below:

1	Registration Fee	Rs. 200/- once at the time of admission
2	Programme Fee	Rs. 8000/- per year
3	Examination Fee	Rs. 1000/- pr year

7

- 8. The Master of Philosophy (M.Phil.) Programme will have a two-tier structure. The first tier will consist of course work in the form of theory papers while the second tier will consist of dissertation work including viva voce on it. The course work shall be of 32 credits, dissertation shall be of 16 credits and viva voce shall be of 8 credits. Each theory paper will be of 100 marks, dissertation will be of 200 marks and viva voce will be of 100 marks. As such the entire M.Phil. Programme shall comprise 56 credits of 700 marks in total.
- The semester system shall be followed for the instructions and examinations in the Master of Philosophy (M.Phil.) Programme.
- 10. The calendar of events of the Master of Philosophy (M.Phil.) programme shall be prepared by the concerned school of studies of the university each year.
- 11. The information and communication technology will be extensively used as a mode of delivery system in the Master of Philosophy (M.Phil.) Programme. The concerned school of studies of the university will develop appropriate mechanism for curriculum transaction. Necessary facilities i. e. faculty, physical infrastructure, library etc will be made available.
- 12. No candidate shall be allowed to appear in the terminal examinations of the Master of Philosophy (M.Phil.) Programme unless he/she puts in 75% attendance in the contact/counselling programme and submits all the assignments of that semester.
- 13. In each theory paper of the Master of Philosophy (M.Phil.) Programme 30 percent of the total marks shall be assigned on the basis of sessional work i.e. assignments, midterm tests etc. The term-end examination shall have a weightage of 70 per cent of the total marks in each paper. The sessional and term-end examination marks have to be mentioned separately on the marks sheet.
- 14. Every candidate for the Master of Philosophy (M.Phil.) degree course shall have to pass in each theory paper as well as in the internal assessment separately. The minimum pass marks shall be 50 per cent. A candidate who obtains less than 50 per cent in any one or more paper (s) or in internal assessment of any or more theory paper(s) will be declared to have failed in the examination of that/those paper(s).
- 15. Every candidate for the Master of Philosophy (M.Phil.) degree course shall be required to submit a dissertation in three copies on an approved topic done under the guidance of designated supervisor. The dissertation work may take any of the forms such as fieldwork, research study, or exploratory work etc.
- 16. The topics and the supervisors for the dissertation will be allotted by the concerned DRC on the application (format given in enclosure 1) of the candidate duly forwarded by the proposed supervisor and the programme coordinator. The dissertation work must be an original work or fresh interpretation carried out by the candidate and it supervisor.

- 17. The dissertation work of every candidate for the Master of Philosophy (M.Phil.) degree course shall be evaluated by one external examiner and the supervisor and their average will be the marks for the dissertation. A candidate who obtains less than 50 per cent marks in the dissertation will be declared to have failed in the dissertation.
- 18. If a candidate for the Master of Philosophy (M.Phil.) degree course gets passing marks in the dissertation, then he /she shall be asked to present and defend his /her dissertation work in front of an audience and board of examiners consisting of the external examiner and the supervisor. The board of examiners will assign the viva voce marks jointly. A candidate who obtains less than 50 per cent marks in the viva voce will be declared to have failed in the viva voce.
- 19. The class shall be awarded to the successful candidates of the Master of Philosophy (M.Phil.) Programme at the end of the fourth semester on the basis of their aggregate marks in all papers —

First class 60% or above Second class 50% or more, but less than 60%

20. If a student of the Master of Philosophy (M.Phil.) Programme failed or failed to appear in any one or more papers of the term-end examinations or in dissertation or in viva voce, he /she may appear in the subsequent term-end examination of the concerned semester for that paper / those papers/ dissertation/ viva voce. This facility period of four years from the date of admission.



Enclosure 1 Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University Application for Allotment of the Topic and the Supervisor for M. Phil Dissertation

1. Subject							
2. Enrolment No	. Enrolment No.						
					size photo		
6. Local Address:				••••••	*****		
7. Academic record (P)	0000 00	alas District					
Examination		close Photostat copie		k-sheets /	certificate).		
M.A/M.Sc/M.Com/	Year	Board/University	Division	%	Subjects		
M.Ed./ MBA/MCA							
Other/NET/JRF/SLET			-				
M. Phil. Papers cleared so far							
9. Name of Proposed Su	perviso	r with full address an	d designatio	on (Please	attach his/her bio data)		
I DECLARE THAT-			•••••••				
The information g true and correct, an The topic propose	ed for	me in this application attended fact has been of the dissertation worken done on it or on a	le is an i	ana ,	ts enclosed here with are		
				Fu	all Signature of Applicant		
		Forwarded					
~							
Signature, Name and Desig proposed Supervisor	nation	of the	Signature, Name and Designation of the centre coordinator With seal				